UPEW010018102018

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01632**

Rent Control Revision 2/2018

RAVI SHANKAR TONDON Vs. ASHUTOSH NARAYAN SINGH

दिनांक 28.01.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 34 ग व आपत्ति 37 ग पर विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना पत्र 34 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्ता नेकनियती के साथ पैरवी करता रहा और प्रत्यर्थी क्रमांक–2 विजय कुमार की मृत्यु होने के उपरान्त मृत्यु की जानकारी होने पर उसके द्वारा विरासत प्रार्थना पत्र 27 क व विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र 25 ग प्रस्तुत किया और प्रस्तावित वारिसान हेतु पैरवी की गयी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा तिथि नियत की गयी। प्रत्यर्थी क्रमांक–1 की ओर से पूर्व में ही उपस्थिति दी जा चुकी थी यद्यपि पैरवी विरासत हो चुकी थी और वह यही समझता रहा कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा परन्तु पत्रावली को देखने पर जानकारी हुई कि न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके प्रत्यर्थी क्रमांक–2 के विरूद्ध उपशमन आदेश पारित किया गया है और कोई सुनवाई व आदेश प्रार्थना पत्र 25 ग व 27 क 1 का नहीं हुआ है क्योकि नियत दिनांक 17.09.2022 को प्रार्थी के अधिवक्ता आवश्यक कार्यो की वजह से बाहर गये हुए थे पुकार के समय न्यायालय उपस्थित आना सम्भव नहीं रहा और न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है तथा न्यायालय का ध्यान विरासत प्रार्थना पत्र लम्बित होने तथा पैरवी पूर्ण की ओर आकर्षित नहीं किया जा सका उसकी ओर से कोई लापरवाही नहीं की गयी वह स्वयं दिनांक 17.09.2022 को उपस्थित रहा चूंकि प्रार्थना पत्र स्थगन दिया गया था वह यही समझता रहा कि बिना कार्यवाही के तिथि नियत हुयी है पूर्व तिथि पर आदेश दिनांक 17.09.2022 की जानकारी नहीं हुई। आदेश दिनांक 17.09.2022 का पुनरावलोकन करते हुए प्रार्थना पत्र 25 ग व 27 क 1 का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर याचना की गयी है।

3. उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति 37 ग इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थना पत्र गलत बयान पर आधारित है अपील को लम्बा खीचने के दुषित उद्देश्य से दिया गया है तथा कालबाधित है अपीलार्थी लम्बे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 27.08.2021 के प्रकाश में कभी कोई पैरवी नहीं की गयी और घोर लापरवाही बरती गयी। आदेश दिनांक 01.11.2022 विधि सम्मत सही आदेश है और

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.01.28 17:03:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गुण–दोष के आधार पर पारित है न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 25 ग व 27 क पर पूर्व पैरवी न पाते पूर्ण पैरवी से सन्तुष्ट न होने के कारण प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है उपशमन का आदेश पूर्ण आदेश है जिसके पुनर्विलोकन का कोई प्राविधान नहीं है। प्रार्थना पत्र बदनीयती से वाद को उलझाने की दृष्टि से दिया गया है जिसे खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

4. अवलोकन से विदित है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 34 ग के माध्यम से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.09.2022 का पुनर्विलोकन कर प्रार्थना पत्र 25 ग व 27 क का निस्तारण गुण–दोष पर किये जाने की याचना की गयी है जिस पर विपक्षीगण द्वारा आपत्ति कर कथन किया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र 25 ग व 27 क पर पूर्ण पैरवी न पाते हुए व पूर्ण पैरवी से सन्तुष्ट न होने के कारण प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

5. आदेश पत्र के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 18.02.2021 को आदेशपत्र पर सूचना दी गयी कि विपक्षी संख्या– 2 विजय कुमार मेहरोत्रा की माह अक्टूबर में मृत्यु हो चुकी है। तदोपरान्त दिनांक 06.03.2021 को निगरानीकर्ता द्वारा विरासत प्रार्थना पत्र 27 क व विरासत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम करने हेतु प्रार्थना पत्र 25 ग अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2021 को आदेश पारित किया गया कि निगरानीकर्ता दोनो प्रकार से पैरवी करे परन्तु निगरानीकर्ता को पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी उसके द्वारा विरासत प्रार्थना पत्र के प्रस्तावित वारिसानों पर नोटिस तामीला हेतु कोई पैरवी नहीं की गयी तब न्यायालय द्वारा द्वारा दिनांक 17.09.2022 को आदेश पारित किया गया कि विजय कुमार मेहरोत्रा की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के बाद प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में कार्यवाही न किये जाने के कारण वाद की कार्यवाही प्रत्यर्थी संख्या –2 के विरूद्ध उपशमित की जाती है। इस प्रकार आदेश दिनांकित 17.09.2022 को पुनर्विलोकन किये जाने का न्यायोचित आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 34 ग निरस्त किया जाता है तदनुसार आपत्ति 37 ग निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 02.02.2026 को पेश हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0 व0 अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632